उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-15/3192/26-1-2013-4(11)/2013

लखनऊ : दिनांक: 24 अक्टूबर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

श्री दीनानाथ राम, जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), जौनपुर के विरूद्ध वर्ष 2005 में जनपद मऊ में जिला समाज कल्याण अधिकारी पद की तैनाती अवधि में अपने अधीनस्थ वरिष्ठ लिपिक श्री रामसमुझ राम के साथ दुरभिसंधि करके आदर्श बालिका इण्टर कालेज, कोइरियापार, मऊ के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य से मिलीभगत कर कूटरचित अभिलेखों के माध्यम से रू0 3,80,576/- के गबन के आपराधिक मामलें में प्रथम दृष्टया शामिल होने के प्रकरण में थाना मोहम्मदाबाद, गोहना मऊ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-339/2005 (342/2005) धारा-406, 409, 420, 467, 468, 471, 120बी भा0द0सं0 में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(अधिनियम संख्या-2, सन् 1974) की धारा-197 एवं भ्र0नि0अधि0 की धारा-19 के अधीन कार्यालय ज्ञाप संख्या-जीआई-4/26-1-2009-4(16ए)/2005, दिनांक 10-07-2009 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रश्नगत प्रकरण में श्री दीनानाथ राम दिनांक 08-10-2013 से कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध है। अतएव उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-4(3)(क) के अंतर्गत 48 घण्टे की अवधि से अधिक निरूद्ध होने के कारण एतद्द्वारा श्री दीनानाथ राम, जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), जौनपुर को कारागार में निरूद्ध होने की तिथि 08-10-2013 से निलम्बित करते हुए निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध किया जाता है।

2- निलम्बन की अवधि में श्री दीनानाथ राम को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री दीनानाथ राम इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापारवृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-15/3192(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को निलम्बन आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया श्री दीनानाथ राम, जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) को निलम्बन आदेश की प्रति तामील कराकर स्पष्ट हस्ताक्षर व दिनांक सहित तामीली की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जिलाधिकारी, जौनपुर/मऊ।

3- कोषाधिकारी, जौनपुर।

4- श्री दीनानाथ राम, जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

5- गार्ड फाइल/जॉच रजिस्टर।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in